जतिन v/s जगदीश 2024/379

| क्रम संख्या | दिनांक आज्ञा या कार्यवाही | आज्ञा विस्तृत रूप से |
|---|---|---|
| | | जाकर न्यायालय जा० दिनांक 14.8.24 को जारी अन्तरिम स्थगन आदेश को वाद के निर्णय तक कायम किया जाकर उभय पक्षों को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे उक्त वाद ग्रस्त भूमि की वाद के निर्णय तक मौके एवं रिकार्ड की यथा स्थिति बनाये रखेंगे। पंजावली फसल शुमार हकदार वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। |